न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 18/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बलदेवराम पुत्र छोटूराम (छोटाराम) जाति जाट निवासी रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री हनुमान पोटलिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 22.10.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 8/2020 सरकार बनाम बलदेवराम में निर्णय दिनांक 15.06.2020 के तहत मौजा रूपाथल के खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 20.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 8/2020 सरकार बनाम बलदेवराम के फर्द अहकाम दिनांक 1.6.20 से 15.6.20 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 15.6.20 की फोटोप्रति तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया होने तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट ने जवाब नोटिस के जरिये यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका कथित खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही है। इस खसरा नं. 141 के चिपता ही अपीलांट के पीढियों पुराने मकान व बाडे बने हुए है तथा यही पर निवास करते हुए अपीलांट के परिवार के तमाम पहचान के दस्तावेजात वगैरा समय समय पर सरकार ने सर्वे करके बना रखे है। कभी भी अतिक्रमी नही माना गया है तथा अपीलांट के परिवार के स्वामित्व की जगह मानी जा चुकी है तथा आबादी भूमि है। धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू भी नही होता है। अपीलांट के रहवासी मकान में विद्युत आदि के कनेक्शन भी सरकारी विभाग ने जारी कर रखे है तथा लगातार पीढियो से उसी स्थान पर बहेसियत मालिक परिवार सहित निवास करते आये है तथा अपीलांट की उक्त भूमि आबादी मे स्थित होने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी वगैरा जारी करने से ही विद्युत कनेक्शन वगैरा जारी होते है व अपीलांट के परिवार के राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरा तमाम दस्तावेजात ग्राम पंचायत की जानकारी मे इसी स्थान के बने हुए है व अपीलांट की जायगा पीढियो से कब्जासुद स्वामित्व की रही है। उससे आगे एक इंच भूमि रास्ता पर अतिक्रमण कतई नही हो रखा है। रास्ता पर ग्राम पंचायत द्वारा नाप चोप करके खुर्रा निर्माण किया हुआ है। रास्ता पर आवागमन लगातार चालू है। किसी को कोई उजर आपति न तो कभी हुई न ग्राम पंचायत ने कोई एतराज किया। इसके बावजूद पटवारी ने मात्र अपीलांट से अदावत रखने वाले व्यक्ति विशेष के दबाव व

अपर कलक्टर, नागौर

प्रभाव मे आकर अनावश्यक तंग परेशान करने के लिये मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। इस कारण निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–इस खसरा नं. 141 रास्ता से अपीलांट का कोई सरोकार नही है। उससे काफी दूरी पर अपीलांट का मकान व जायगा स्थित है व रास्ता पर पंचायत ने खुर्रा निर्माण करवा रखा है। ऐसी स्थिति मे यदि किसी रास्ता पर अतिक्रमण होता तो उसकी शिकायत पंचायत द्वारा की जाती, पटवारी को आबादी भूमि मे स्थित मकान, बाडा जायगा के संबंध मे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट करने का विधिक अधिकार भी नही है। इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को नजर अंदाज करते हुए निरकुंश निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–इस प्रकार मौके की स्थिति की यदि निष्पक्ष टीम से या स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा जांच की जाती तो सारी स्थिति सामने आ जाती मगर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर ऐसा नही किया न ही पटवारी के बयान लिये न ही उससे जिरह करने का अवसर अपीलांट को दिया व सरसरी तौर पर ही मात्र मिथ्या रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रिन्टेड परफोरमा के कॉलम भर कर निर्णय जैर अपील पारित कर निर्दोष अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है व अब उसके आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी की और रिपोर्ट करवा कर पटवारी वगैरा अपीलांट को दण्डित कराने की फिराक मे है। ऐसी स्थिति मे निर्णय जैर अपील विधि सम्मत न होकर दुर्भावनापूर्वक पारित करवाया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रूपाथल में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूपाथल के खसरा नंबर 141 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर